शुद्धिपत्र

संख्या-196/22-4-2010-48(21)/03

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक- 04-फरवरी,2010

विषयः- नव सृजित जनपद औरैया में जिला कारागार निर्माण हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण के लिए प्रतिकर की 20 प्रतिशत अग्रिम धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2082/22-4-09-48(21)/03 दिनांक-27जनवरी, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में त्रुटिवश काश्तकारों की भूमि 23.081 हेक्टेयर के स्थान पर 24.251 हेक्टेयर अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक-27 जनवरी, 2010 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित काश्तकारों की भूमि 24.251 हेक्टेयर के स्थान पर 23.081 हेक्टेयर पढ़ा जाय। तदनुसार उक्त शासनादेश संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-196(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, औरैया।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।